

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1 ()स्था./ निकाशि/2010/

दिनांक: अगस्त, 2011

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के एम. आर.संख्या 1792 दिनांक 29.7.2011 के अनुसरण में विभाग में पदस्थापित समस्त पुस्तकालयध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों के बकाया प्रकरणों का नवीन यू.जी.सी. वेतनमान 2009 में वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

८०
निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक: एफ 1 ()स्था./ निकाशि/2010/ २५८ दिनांक: २६ अगस्त, 2011

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 3 मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को उनके यू.ओ. नोट क्रमांक 597 दिनांक 25.8.2011 के संदर्भ में।
- 4 समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन पुस्तकालयध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों के बकाया वेतन निर्धारण प्रकरण अविलम्ब भिजवायें।
- 5 श्री धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता को वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक